राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020–2021

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर 302016

दूरभाषः 2200786 निदेशक, 2205464 वरि. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

2202347 पी.ए.बी.एक्स, 2203344 फैक्स

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर–1800–180–6268

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

विभागीय वैब साईट–www.sipf.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2020–2021

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर 302016

दूरभाषः 2200786 निदेशक, 2205464 वरि.अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

2202347 पी.ए.बी.एक्स, 2203344 फैक्स

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर–1800–180–6268

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

विभागीय वैब साईट–www.sipf.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य**	1–2
2	**राज्य बीमा योजना**	3–7
3	**प्रावधायी निधि योजना**	8–19
	1. सामान्य प्रावधायी निधि योजना	8–12
	2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजना	12–17
	3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना	17–18
	4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना	18
	5. जीपीएफ 2004 एवं जीपीएफ सैब	19
4	**साधारण बीमा निधि योजना**	20–28
	1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	21–23
	2. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	23
	3. विविध बीमा पॉलिसी	24–25
	4. ग्रुप मेडिक्लेम योजनाऐं	25–28
5.	**राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)**	29–32
6.	**सिस्टम**	33–38
7.	**डिजिटाईजेशन**	39
8.	**लेखा (बजट)**	40
9.	**उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता**	41–46
10.	**कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण**	47–48
11.	**संगठनात्मक ढ़ाचा**	49
12.	**विशेष उपलब्धियां**	50
13.	**सार संक्षेप**	51

1. विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य

राजस्थान सरकार के कार्यरत समस्त **राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा **राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिक्लेम योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** आदि का संचालन किया जा रहा है।

स्वाधीनता के पश्चात् प्रदेश के राज्यकर्मियों के कल्याणार्थ राजस्थान सरकार ने कर्मचारी बीमा **नियम 1953** के तहत दिनांक **01.01.1954** से राज्य बीमा योजना को अनिवार्य रूप से राजस्थान सरकार के अध्यधीन **समस्त कर्मचारियों** पर लागू किया। योजना का बाद में विस्तार करते हुए इसे दिनांक **01.04.1989** से **जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों** में कार्यरत कर्मचारियों पर तथा दिनांक **01.04.1995** से सभी **नियमित कर्मनिरूपित कर्मचारियों** पर **अनिवार्य रूप से** लागू किया गया। वर्ष **1943** में मात्र **8000** कर्मचारियों से प्रारम्भ उक्त बीमा योजना माह दिसम्बर 2020 की ऑनलाईन गणनानुसार **लगभग 7.27 लाख** कर्मचारियों पर लागू है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक **01.05.1980** से **प्रावधायी निधि योजना** को भी **अनिवार्य रूप** से सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू किया गया। पूर्व में यह योजना अनिवार्य राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से तथा अन्य के लिये वैकल्पिक रूप से लागू थी। माह दिसम्बर में ऑनलाईन 2020 की गणनानुसार प्रावधायी निधि योजना में **लगभग 3.26 लाख** अंशदाता हैं।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक **01.04.1991** से **साधारण बीमा निधि** की स्थापना की गई जिसके द्वारा राज्य के **सभी सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, निगमों, सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों** आदि, जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण या गारंटर के रूप में वित्तीय हित निहित है, की परिसम्पत्तियों आदि के लिये साधारण बीमा की विभिन्न प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है ।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिनांक **01.01.2004** एवं उसके पश्चात् **नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों** पर लागू की गई है। इस योजना के सदस्यों की सामान्य प्रावधायी निधि कटौतियां नहीं की जा रही हैं। **राष्ट्रीय** पेंशन प्रणाली में माह दिसम्बर 2020 की गणनानुसार **लगभग 5.28 लाख** खातेदार हैं।

विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाऐं कर्मचारियों के लिये **कल्याणकारी योजनाऐं** हैं, जो **बचत को प्रोत्साहन** देने व **आयकर में छूट** प्रदान करने के साथ ही **न्यूनतम प्रशासनिक लागत** पर राज्यकर्मी तथा उसके **परिजनों को आर्थिक सम्बल** प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय व अन्य राज्यों की योजना की तुलना में राजस्थान सरकार की राज्य बीमा योजना एवं साधारण बीमा योजना **सरल व अधिक लाभकारी** है।

2. राज्य बीमा योजना

अनिवार्य राज्य बीमा योजना

अनिवार्य राज्य बीमा योजना राजस्थान राज्य के गठन के उपरान्त कर्मचारी बीमा नियम 1953 के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मियों पर लागू है। योजना में नवीन नियम दिनांक 01.04.1998 से प्रभावी किये गये हैं। नवीन नियमों के परिप्रेक्ष्य में, योजना की कार्यविधि पुस्तिका (मेनुअल) के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

1) **योजना किन पर लागू है:**– अनिवार्य राज्य बीमा योजना स्थाई तथा अस्थायी राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत लाया गया, उन पर भी दिनांक 01.04.95 से यह योजना लागू की गई है। (नियम 8(1))

2) **राज्य सरकार की गारन्टी** :– राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी की गई बीमा प्रसंविदाओं के अधीन देय लाभ एवं अन्य रकम को राज्य की संचित निधि में से चुकाने की राज्य सरकार गारन्टी देती है। (नियम 4)

3) **बीमाधन कुर्की से मुक्त:**– बीमा नियमों के अनुसार राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले बीमा प्रमाण पत्र के अंतर्गत देय बीमाधन न्यायालय द्वारा डिक्री एवं उसकी क्रियान्विति में कुर्की से मुक्त है। जिन मामलों में भवन निर्माण /क्रय हेतु किसी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के विरूद्ध बीमा पॉलिसी को बंधक रखा हुआ है, उनमें संबंधित संस्थान से पॉलिसी को मुक्त कराये जाने पर ही बीमाधन का भुगतान बीमेदार/दावेदार को किया जाता है। (नियम 50)

4) **बीमा नियम 1998 में संशोधन :–**

1) बीमा नियम 44(2) में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(36) एफ.डी. /राजस्व/96 पार्ट 1 दिनांक 22.11.2007 द्वारा बीमा ऋण लौटाने की किस्तों की संख्या 36 के स्थान पर 60 की गई है।

2) बीमा नियम 11(3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट दिनांक 02.03.2009 के द्वारा कर्मचारियों की अधिक जोखिम वहन करने की आयु 50 से बढाकर 55 वर्ष कर दी गयी है।

3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प–4(36)वित्त/राजस्व/96 पार्ट–2 दिनांक 16.12.2010 द्वारा बीमा नियम 1998 के नियम 22(2)(ii) में अपर निदेशक के पश्चात् संयुक्त निदेशक जोड़ा गया है।

4) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट–लूज, दिनांक 13.12.2017 के अनुसार राज्य बीमा योजना के जारी अधिकार पत्रों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्थान पर विभाग के जिला अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2018 से सीधे कर्मचारी / दावेदार के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

5) **बीमेदारों की संख्या** :– इस योजना में दिनांक 31.12.2020 की गणनानुसार बीमेदारों की कुल संख्या 727241 है।

6) **बीमा निधि** :– वर्ष 2019–20 के अन्त में राज्य सरकार के पास जमा बीमा निधि रूपये 18138.15 करोड़ है, जिसका राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार द्वारा 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है।

7) **मूल्यांकन एवं बोनस** :– वर्ष 2015–16 का बोनस राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2018 से सावधि बीमा पॉलिसी पर प्रतिवर्ष रूपये 90/–प्रति हजार घोषित किया गया है। वर्ष 2016–17 के बोनस निर्धारण से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है।

8) **राज्य बीमा पॉलिसी की अन्य विशेषताऐं :–**

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अन्तर्गत योजना में जमा प्रीमियम राशि पर आयकर छूट का प्रावधान है।
2. योजना के नियमों के अंतर्गत बीमेदार द्वारा आवश्यकता अनुसार बीमा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु किसी कारण को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है तथा कर्मचारियों से ऋण पर ब्याज वही लिया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा बीमा निधि पर देय होता है।
3. पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमेदार की मृत्यु पर मनोनीत व्यक्ति को दुगुने बीमाधन का भुगतान किया जाता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
4. सावधि बीमा योजना में 1 रू0 के प्रीमियम पर अन्य बीमा कम्पनियों की तुलना में बीमाधन अधिक है। अन्य बीमा पॉलिसी की तुलना में बोनस भी अधिक दिया जाता है।

5. नियम 9 के अनुसार विभाग राजस्थान सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले कर्मचारियों का इस बीमा स्कीम के अन्तर्गत बीमा करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि उक्त उपक्रम के 50 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिए सहमत हों।
6. नियम 10 के अनुसार राजस्थान संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सदस्य विभाग की बीमा स्कीम के अन्तर्गत बीमा कराने का विकल्प दे सकते हैं।
7. नियम 31 के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति के विवाह से पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया और तत्पश्चात् रद्द नहीं किया गया नामनिर्देशन उसके विवाह के पश्चात् उसकी पत्नी/पति के पक्ष में स्वतः रद्द किया हुआ समझा जायेगा।
8. नियम 39(2)(i) के अनुसार बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमा पॉलिसी जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है।
9. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट–लूज, दिनांक 13.12.2017 एवम् 26.03.2018 के अनुसार दिनांक 01.01.2018 से राज्य बीमा योजना के सभी ऋण एवम् दावों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्थान पर विभाग के जिलाधिकारी द्वारा सीधे कर्मचारी/दावेदार के बैंक खाते में किया जा रहा है।

9) **बीमा कटौती की दरें**:– राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट, दिनांक 13.03.2020 के द्वारा राज्य बीमा प्रीमियम की संशोधित कटौती दरें दिनांक 01.04.2020 से निम्नानुसार प्रभावी हैं :–

क0सं0	मूल वेतन	खण्ड दरें (मासिक प्रीमियम)
01	रूपये 22000 तक	800
02	रूपये 22001 से 28500 तक	1200
03	रूपये 28501 से 46500 तक	2200
04	रूपये 46501 से 72000 तक	3000
05	रूपये 72001 से अधिक पर	5000
06	अधिकतम	7000

10) **अधिक कटौती का विकल्प** :–

वेतन खण्ड के लिए निर्धारित मासिक प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है, परन्तु यदि बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खण्ड से आगामी दो वेतन खण्डों के लिये निर्धारित दरों पर कटौती करवाकर अधिक बीमाधन के लिये भी बीमित हो सकता है, लेकिन वेतन खण्ड 5 के अंतर्गत आने वाले बीमेदार अधिकतम 7000/– रूपये प्रतिमाह तक ही कटौती करवा सकेगें। वेतन खण्ड के लिए निर्धारित दर से अधिक कटौती के विकल्प को लेते समय बीमेदार को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि वह टी0बी0, दमा, कैंसर, मधुमेह, एड्स अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिघोषित किसी अन्य रोग से ग्रस्त नहीं है।

11) **योजना का कार्य संपादन** :– योजना संबंधी समस्त कार्य यथा पॉलिसी जारी करना, अधिक जोखिम वहन करना, ऋण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन, खाता स्थानान्तरण तथा बीमा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य बीमेदार के पदस्थापन संबंधी जिला कार्यालय पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

12) **बीमा योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण** :–

राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2018–19** में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

कसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1–	परिपक्वता स्वत्व	22579	21768	96.41
2–	मृत्यु स्वत्व	2168	2117	97.65
3–	अध्यर्पण स्वत्व	1271	1256	98.82
4–	बीमा ऋण	26721	26589	99.57

राज्य बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2019–20** में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :–

कसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1–	परिपक्वता स्वत्व	22788	22408	98.33
2–	मृत्यु स्वत्व	2224	2170	97.51
3–	अध्यर्पण स्वत्व	1054	1017	96.49
4–	बीमा ऋण	26278	26051	99.14

वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

कसं	दावों के प्रकार	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
1–	परिपक्वता स्वत्व	22570	20823	92.26
2–	मृत्यु स्वत्व	1869	1794	95.99
3–	अध्यर्पण स्वत्व	750	714	95.20
4–	बीमा ऋण	15597	15493	99.33

13) प्राप्तियां एवं भुगतान :– **राज्य बीमा योजना में वर्ष 2018–19 से माह दिसम्बर, 2020 तक की प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:–** (राशि करोड़ों में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2018–19	14192.52	2361.97	1236.30	17790.79	1657.49	16133.30
2019–20	16133.30	2467.60	1397.18	19998.08	1859.43	18138.65
2020–21 (दिसम्बर,2020 तक)	18138.65	2464.12			1662.29	

3. प्रावधायी निधि योजना

1. सामान्य प्रावधायी निधि योजनाः–

(i) योजना विभिन्न चरणों में निम्न पर लागू हुईः–

योजना समस्त राज्य कर्मचारियों पर राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर दिनांक 01.04.1954 से अनिवार्य रूप से लागू हुई थी। स्वेच्छा से अंशदान करने वाले और राज्य बीमा की कटौती में अयोग्य घोषित कर्मचारियों के लिये अनिवार्य सामान्य प्रावधायी निधि कटौती के खातों के रखरखाव का कार्य महालेखाकार से विभाग द्वारा दिनांक 01.04.1979 को लिया गया था, जो निरंतर इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। योजना का परिलाभ समस्त राज्य कर्मचारियों को देने के उदेश्य से उक्त योजना समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों पर दिनांक 01.05.1980 से अनिवार्य रूप से लागू की गई। दिनांक 01.01.2004 एवम् उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं है। योजना में पुनर्लिखित राजस्थान सरकारी कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम, 1997 दिनांक 01.06.1997 से प्रभावी है।

(ii) सामान्य प्रावधायी निधि योजना के प्रमुख आकर्षण

1– योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित ब्याज दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के लिए ब्याज दर प्रथम तिमाही हेतु 7.1 प्रतिशत एवं द्वितीय व तृतीय तिमाही हेतु 7.1 प्रतिशत वार्षिक है।

2– कर्मचारी अपनी सेवानिवृति के पश्चात् समस्त लाभों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ.2(1)एफडी(रूल्स)/96 दिनांक 30.03.1999 द्वारा प्रावधायी निधि नियम 4 (1) (2) एवं 14 (2) में किये गये संशोधनानुसार खाते में जमा रख सकता है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 2(1)एफडी(रूल्स)/2008 पार्ट–1 दिनांक 11.10.2017 द्वारा सेवा निवृति पश्चात् जमा राशि पर जीपीएफ में प्रचलित ब्याज दर लागू की गई है एवं योजना में राशि जमा होने के पश्चात् आहरण हेतु लॉक–इन पीरियड समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)एफडी(रूल्स)/2008 पार्ट–1 दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत

अधिकारियों एवं राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधिपतियों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अपने सेवानिवृत परिलाभों की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

3– राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को इस योजना में अधिक से अधिक बचत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह सुविधा प्रदान की गई है कि अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

(iii) **सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें:–**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–2 (1)वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा दिनांक **01.03.2018** से सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:–

क्र0सं0	**वेतन खण्ड**	**अंशदान की दर (मासिक रूपयों में)**
1	रूपये 23100/– तक	1450
2	रूपये 23101/– से 28500/– तक	1625
3	रूपये 28501/– से 38500/– तक	2100
4	रूपये 38501/– से 51500/– तक	2850
5	रूपये 51501/– से 62000/– तक	3575
6	रूपये 62001/– से 72000/– तक	4200
7	रूपये 72001/– से 80000/– तक	4800
8	रूपये 80001/– से 116000/– तक	6150
9	रूपये 116001/–से 167000/– तक	8900
10	रूपये 167000 से अधिक पर	10500

(iv) **आहरण:–**सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत नियमानुसार दो प्रकार के आहरण स्वीकृत किये जाते हैं :–

1. **अस्थायी आहरण:**– कर्मचारी की कुल जमा राशि का **50 प्रतिशत अथवा 3 माह का मूल वेतन,** जो भी कम हो, अस्थायी आहरण के लिये दिया जा सकता है। नया अस्थायी

आहरण पूर्व में आहरित अस्थायी आहरण की राशि **24** अथवा, अंशदाता द्वारा अनुरोध किये जाने पर, कम किश्तों में पूर्णतः लौटाने के पश्चात् देय होता है। अस्थायी आहरण निम्न कारणों पर देय हैः–

(अ) स्वयं अथवा परिवार के सदस्य के इलाज, उच्च शिक्षा, सामाजिक दायित्व इत्यादि।

(ब) स्वयं के मकान के क्रय, मरम्मत अथवा नवीनीकरण।

उपरोक्त कारणों के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ पासबुक व अन्य वांछनीय दस्तावेज भी संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।

2. **स्थायी आहरणः–** कर्मचारी की जमा राशि में से **50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत** देय होता है। 50 प्रतिशत स्थायी आहरण स्वयं अथवा संतान की उच्च शिक्षा, बीमारी के लिए देय है। वाहन एवं उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए कीमत का 75 प्रतिशत या जमा राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक देय है। 75 प्रतिशत स्थायी आहरण पुत्र/पुत्री का विवाह अथवा सगाई के लिए, मकान की खरीद, निर्माण, विस्तार, मरम्मत के लिए देय है। उपरोक्त स्थायी आहरण कर्मचारी की 15 वर्ष की सेवा अवधि उपरान्त देय है। मकान निर्माण हेतु 75 प्रतिशत राशि 15 वर्ष की सेवा से पूर्व भी देय है। **कर्मचारी की सेवानिवृति में 1 वर्ष रह जाने की स्थिति में बिना किसी कारण अपनी कुल जमा राशि का 90 प्रतिशत आहरित किया जा सकता है।** कारण के अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ पासबुक व अन्य वांछनीय दस्तावेज संलग्न किये जाना आवश्यक है।

(v) योजना का कार्य संपादनः–

दिनांक **01.05.1980** से सभी राज्य कर्मचारियों पर यह योजना लागू होने के पश्चात सभी **जिलों में विकेन्द्रीकृत रूप से** योजना को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत खातेदार का समस्त कार्य यथा खाता संख्या आवंटन करना, अस्थायी/स्थायी आहरण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन तथा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य खातेदार के पदस्थापित जिला कार्यालय पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

(vi) योजना अंतर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरणः–

प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्व आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलनाः–

	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
वर्ष 2018–19	सा.प्रा.नि. सेवानिवृति	32762	30624	93.47
	सा. प्रा. नि. मृत्यु स्वत्व	4174	3898	93.38
	स्थायी प्रत्याहरण	41747	40320	96.58
वर्ष 2019–20	सा.प्रा.नि. सेवानिवृति	30003	28066	93.54
	सा. प्रा. नि. मृत्यु स्वत्व	3909	3749	95.90
	स्थायी प्रत्याहरण	39768	37421	94.09
वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	सा.प्रा.नि. सेवानिवृति	20149	17992	89.29
	सा. प्रा. नि. मृत्यु स्वत्व	2017	1856	92.01
	स्थायी प्रत्याहरण	23606	21469	90.94

(vii) **प्राप्ति एवं भुगतानः–** प्रावधायी निधि योजना में प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्तियां	ब्याज	योग	भुगतान	शेष
2018–19	28148.89	4901.12	2259.46	35309.47	3402.64	31906.83
2019–20	31906.83	3625.25	2529.09	38061.17	3820.24	34240.93
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	34240.93	3121.34	–	37362.27	2986.47	34375.80

(viii) कुल खातेदार

दिनांक 31.12.2020 को विभाग द्वारा कराई गई गणना के अनुसार योजना के अन्तर्गत **326149** खातेदार हैं।

(ix) सामान्य प्रावधायी निधि

वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक सामान्य प्रावधायी निधि में कुल राशि रूपये **34375.80** करोड़ थी।

(x) खाताबंदी

सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत खाताबंदी का ऑनलाईन कार्य वर्ष 2016–17 तक पूर्ण है तथा वर्ष 2017–18 से 2018–19 का कार्य प्रगति पर है।

2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजनायें:–

विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर पेंशन की एवज में अंशदायी प्रावधायी निधि योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में लागू की गयी। इस विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं का संचालन किया जाता है :–

1. **राजस्थान राज्य कर्मचारी विद्युत यांत्रिक एवं जलदाय विभाग अंशदायी प्रावधायी निधि 1955**
2. **सार्वजनिक निर्माण विभाग उद्यान सहित 1961**
3. **सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर अंशदायी प्रावधायी निधि 1964**
4. **खान एवं भू–विज्ञान के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि 1987**
5. **वन विभाग के कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि 1994–95**

उल्लेखनीय है कि सी.पी.एफ./जीपीएफ/डब्ल्यूसी कर्मचारियों की पेंशन ऑप्सन के कारण इसकी राशि राजस्व मद में टी0ई0 पारित करने के कारण प्राप्तियाँ (–) में है तथा इस श्रेणी के कार्मिकों की नई भर्ती न होने से अंशदान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अंशदायी योजनाओं का समस्त कार्य दिनांक 01.04.1996 से विकेन्द्रीकृत कर जिला कार्यालयों के स्तर पर संपादित किया जा रहा है।

(i) सिंचाई विभाग कर्म निरूपित (परियोजनाओं सहित) व सार्वजनिक निर्माण विभाग (उद्यान सहित)

यह योजना राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) तथा **उद्यान विभाग वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.01.1961 से तथा सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर दिनांक 01.06.1964 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान की दर वेतन का 8 प्रतिशत है** तथा राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा कराती है। दिनांक 01.01.1961 से पूर्व की सेवाओं के लिये सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित होने की तिथि से पूर्व, पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिए 1/2 माह का वेतन विशेष अंशदान के रूप में दिया जाता है। इन कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन लाभ–चयन की सुविधा दी जाती है। जो कर्मचारी पेंशन लाभ का चयन करते हैं, उनके वेतन से अंशदायी प्रावधायी निधि की ओर कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की ओर कटौती की जाती है।

उक्त योजना में वर्ष 2018–19 में प्राप्तियाँ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	856.31	66.61	0.00	922.92
सामान्य प्रा0नि0	382.21	29.81	0.00	412.02

उक्त योजना में वर्ष 2019–20 में प्राप्तियॉ एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	922.92	73.20	–	996.12
सामान्य प्रा0नि0	412.02	32.65	–	444.67

वर्ष 2020–2021 (दिसम्बर 2020 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	996.12	0.01	–	996.13
सामान्य प्रा0नि0	444.67	0.00	–	444.67

(ii) जलदाय विभाग

राज्य सरकार द्वारा **सयांत्रिक एवं जलदाय विभाग** के नियमित श्रमिकों के सेवालाभ संदाय हेतु अंशदायी प्रावधायी निधि योजना बनाई गई, जो दिनांक **01.04.1955** से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में **8 प्रतिशत** की दर से कर्मचारी को अंशदान करना होता है तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार को नियोजक के अंशदान (राजकीय अंशदान) के रूप में जमा करानी होती है।

नियमित एवं कर्मनिरूपित कर्मचारी, जिन्हें नियमित श्रेणी में लिया गया है, को राजस्थान सेवा नियमों में शिथिलता बरते जाने पर समय–समय पर निर्धारित अवधि में पेंशन परिलाभ चयन करने की सुविधा प्रदान की गई तथा **अब दिनांक 01.09.1980 से जो कर्मनिरूपित कर्मचारी स्थायी होते हैं और 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, को पेंशन का परिलाभ प्रदान करने का स्थायी विकल्प का प्रावधान, उनके सेवानियमों में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।** स्थायी होने पर अंशदाता द्वारा पेंशन लाभ चयन करने पर अंशदायी प्रावधायी निधि की कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जाती है।

वर्ष 2018–19 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	171.51	13.61	0.00	185.12
सामान्य प्रा0नि0	111.10	8.67	0.00	119.77

वर्ष 2019–2020 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	185.12	14.80	0.00	199.92
सामान्य प्रा0नि0	119.77	9.49	0.00	129.27

वर्ष 2020–2021 (दिसम्बर, 2020 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	199.92	0.04	0.00	199.96
सामान्य प्रा0नि0	129.27	0.00	0.00	129.27

(iii) खान एवं भू– विज्ञान कार्य प्रभारित कर्मचारी

राजस्थान **खनन एवं भू–विज्ञान विभाग** में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर यह योजना दिनांक **01.04.1987** से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान 31 मार्च को रही उसकी परिलब्धियों के **8 प्रतिशत** की दर से करता है तथा इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अंशदाता के खाते में जमा कराई जाती है।

वर्ष 2018–19 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	1.91	0.15	0.00	2.06
सामान्य प्रा0नि0	0.31	0.03	0.00	0.34

वर्ष 2019–20 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	2.06	0.16	0.00	2.22
सामान्य प्रा0नि0	0.34	0.03	0.00	0.37

वर्ष 2020–2021 (दिसम्बर, 2020 तक) प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	2.22	0.00	0.00	2.22
सामान्य प्रा0नि0	0.37	0.00	0.00	0.37

(iv) **वन विभाग कर्मनिरूपित कर्मचारी अंशदायी प्रावधायी निधि एवं सामान्य भविष्य निधि योजनाः–**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.1994 की अनुपालना में वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर यह योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत अंशदाताओं के खातों का संधारण जिला स्तर पर ही किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भी अंशदान की दर कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के **8 प्रतिशत** के बराबर ही है। राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा कराती है। अन्य अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं के समान ही इसमें भी कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन चयन की सुविधा प्राप्त है।

वर्ष 2018–2019 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अं0प्रा0नि0	55.58	4.42	0.00	60.00
सा0प्रा0नि0	3.34	0.26	0.00	3.60

वर्ष 2019–2020 में प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां मय ब्याज	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	60.00	4.83	0.00	64.83
सामान्य प्रा0नि0	3.60	0.29	0.00	3.89

वर्ष 2020–2021 (दिसम्बर, 2020 तक) तक प्राप्तियां एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ों में)

योजना	पूर्व शेष	प्राप्तियां	भुगतान	अन्तिम शेष
अंशदायी प्रा0नि0	64.83	0.03	0.00	64.86
सामान्य प्रा0नि0	3.89	0.00	0.00	3.89

3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना

यह **योजना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू** है। योजना के अन्तर्गत राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी आते हैं। इस योजना के खाते सामान्य प्रावधायी निधि के अनुरूप ही संधारित किये जाते हैं। योजना में अंशदाताओं की न्यूनतम कटौती कुल परिलब्धियों की **6 प्रतिशत** की दर से की जाती है। अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान राज्य सेवाओं से पदौन्नति पर आने वाले अधिकारियों को भी योजना में अनिवार्य रूप से अंशदान करना होता है तथा राजस्थान सेवा की उनके प्रावधायी निधि खाते में जमा राशि इस निधि के अन्तर्गत संधारित खातें में स्थानान्तरित की जाती है। **अखिल भारतीय सेवा प्रावधायी निधि में रखे गये खाते का निर्धारित सीमा तक अवशेष रहने पर लिंक बीमा पॉलिसी देय है,** फलस्वरूप अंशदाता की सेवा में रहते हुए मृत्यु के समय उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके अन्तर्गत अंशदाता के असामयिक निधन के समय उनके खाते में तीन वर्ष की औसत जमा के बराबर अथवा 30,000/– की राशि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है। इस राशि का व्यय–भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में प्रा0नि. योजना के अन्तर्गत **304** अंशदाता हैं।

माह अप्रेल 2013 से प्रत्येक खातेदार का प्रारंभिक शेष कम्प्यूटर पर अपलोड कर प्रत्येक खातेदार को लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड जारी किये जा चुके हैं जिससे खातेदार अपने बैलेंस को ऑनलाईन देख सकता है। योजना से सम्बंधित क्रेडिट, डेबिट एवम् खाता स्थानांतरण ऑनलाईन किये जाने का कार्य भी प्रगति पर है।

योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	मामलों की प्रकृति	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
2018–19	प्रावधायी निधि स्वत्व	10	10	100
	स्थायी प्रत्याहरण	14	14	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	3	3	100
2019–20	प्रावधायी निधि स्वत्व	48	47	97.91
	स्थायी प्रत्याहरण	15	15	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	2	2	100
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	प्रावधायी निधि स्वत्व	43	43	100
	स्थायी प्रत्याहरण	9	9	100
	अस्थायी प्रत्याहरण	–	–	–

4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना

यह योजना राजस्थान केडर के सीधी भर्ती से नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर दिनांक **01.01.1982 से अनिवार्य रूप से लागू है।** राजस्थान राज्य सेवाओं से पदौन्नत अधिकारी ग्रुप बीमा योजना के सदस्य बनने का विकल्प ले सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी द्वारा **120/– रूपये मासिक अंशदान किया जाता है।** इस अंशदान की राशि दो भागों में विभक्त होती है। **1/3 अंशदान बीमा निधि एवं 2/3 अंशदान बचत निधि में जमा होता है।** अधिकारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उनके मनोनीत को 1,20,000 रूपये एवं बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के प्रदान की जाती है। सेवानिवृति पर बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के देय होती है।

योजना में देय लाभ भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। विभाग द्वारा सभी अधिकारियों की राशि प्रति माह एक साथ अग्रिम भारत सरकार को भिजवायी जाती है। योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अंशदाताओं की संख्या **370** है।

5. जीपीएफ 2004 एवं जीपीएफ सैबः–

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 11 (1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात सिविल सेवा में नियुक्त राज्य कार्मिकों के लिए एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्डस् एवं निगम आदि में नियुक्त कार्मिकों हेतु नवीन योजनाएँ क्रमशः सामान्य प्रावधायी निधि–2004 (जीपीएफ–2004), सामान्य प्रावधायी निधि–सैब (जीपीएफ–सैब) निम्न बजट मदानुसार प्रतिपादित की गई है :–

जीपीएफ–2004 योजना हेतु	जीपीएफ–सैब योजना हेतु
8009 –राज्य भविष्य निधि	8009– राज्य भविष्य निधि
01 –सिविल	01 –सिविल
101–सामान्य भविष्य निधि	101–सामान्य भविष्य निधि
(03) –जीपीएफ– 2004	(04)–जीपीएफ–सैब

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्मिक स्वैच्छा से अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकेगें तथा जमा की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियम में उल्लेखित पद्धति के अनुसार ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट की जायेगी।

4. साधारण बीमा निधि योजना

1. साधारण बीमा निधि योजना

समस्त सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य निगमों, सहकारी समितियों एवं पंजीकृत संस्थानों जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण अथवा गारण्टर के रूप में वित्तीय हित निहित है, के बीमाकर्ता के रूप में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अन्तर्गत साधारण बीमा निधि की वर्ष 1991 में स्थापना की गई। भारत सरकार के तत्कालीन कन्ट्रोलर ऑफ इन्श्योरेंस द्वारा साधारण बीमा निधि को अनुज्ञा पत्र संख्या 572/1992 जारी किया गया, जिसे वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है। साधारण बीमा निधि को फायर, मेरिन एवं विविध बीमा का कार्य हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त है। साधारण बीमा निधि द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित फीस का भुगतान कर आई.आर. डी.ए.आई. से अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करवाया जाता है।

साधारण बीमा निधि द्वारा वर्तमान में निम्न प्रकार की बीमा जोखिम वहन की जा रही है:–

1. मेरिन बीमा
2. विविध बीमा
   - (i) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
   - (ii) ग्रुप मेडिक्लेम योजना
   - (iii) विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना
   - (iv) मनी इन ट्रांजिट मनी इन कैश पॉलिसी
   - (v) फिडिलिटी गारन्टी बॉन्ड
   - (vi) मशीनरी ब्रेक डाउन पॉलिसी
   - (vii) बैंकर्स इण्डेमिनिटी पॉलिसी
   - (viii) वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी
   - (ix) बर्गलरी एण्ड थैफ्ट पॉलिसी
   - (x) इलेक्ट्रोनिक इक्यूपमेंट पॉलिसी
   - (xi) सी.पी.एम. लोको पॉलिसी

साधारण बीमा निधि द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार फायर, बॉयलर एवं एविएशन बीमा जोखिम वहन करने का कार्य दिनांक 01.08.2011 से तथा मोटर बीमा जोखिम वहन करने का कार्य दिनांक 27.06.2014 से नहीं किया जा रहा है।

साधारण बीमा योजना द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

उक्त योजना में विभाग द्वारा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, विद्युत कम्पनियों में नियुक्त कर्मियों, होम गार्ड विभाग में नियुक्त कर्मियों तथा अन्य निगमों/मण्डलों/समितियों के कार्मिकों के लिये अलग–अलग पॉलिसी जारी की जाती है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में निधन पर शोक संतप्त परिवार एवं दुर्घटना में हुई क्षति पर स्वयं बीमित को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। विभिन्न समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	बीमा योजना	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पालिसी अवधि	विशेष विवरण
1	जीपीए (राज्यकर्मी)	220 रू.	300000	1 मई से 30 अप्रेल	राज्य कर्मचारी के अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
2	जीपीए पुलिसकर्मी (स्वयं का अंशदान)	1. कास्टे. से हैड कांस्टे. 1350/– 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 2700/– 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050/–	1000000 2000000 3000000	1 अप्रेल से 31 मार्च	पुलिस कर्मियों के फरवरी माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
3	जीपीए पुलिसकर्मी (राजकीय अंशदान)	1. कास्टे. से हैड कांस्टे. 1350/– 2. स.उ.निरी. से निरीक्षक 2700/– 3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050/–	1000000 2000000 3000000	28.08.2020 से 27.08.2021 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।

4	जीपीए (विद्युतकर्मी)	1. उत्पादन एवं प्रसारण कम्पनियों के कार्मिकों हेतु 250 रू. 2. वितरण कम्पनियों के कार्मिकों हेतु 600/–	200000 200000	जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से 1 वर्ष हेतु	विद्युत कम्पनियों द्वारा प्रीमियम विभाग के जिला कार्यालयों में प्रेषित किया जाता है।
5	जीपीए (एटीएस–बीडीएस–श्वान दल)	10000/–	2500000	22.05.2020 से 21.05.2021 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
6	जीपीए (ईआरटी)	10000/–	2500000	13.06.2020 से 12.06.2021 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
7	जीपीए (एटीएस/एसओजी)	10000/–	2500000	02.07.2020 से 01.07.2021 तक	पुलिस विभाग द्वारा एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
8	जीपीए (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)	1.44 लाख रू. (नफरी आधारित)	150000	27.08.2020 से 26.08.2021 तक	नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा सा.बी.नि. कार्यालय में नफरी आधारित प्रीमियम जमा कराया जाता है।
9	जीपीए (अन्य बोर्ड/कारपोरेशन आदि)	250/– रू.	200000	जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से 1 वर्ष हेतु	विभिन्न नगरपालिका/नगरपरिषद/कृषि उपज मण्डी समिति आदि द्वारा विभाग के जिला कार्यालय में प्रीमियम जमा कराया जाता है।

10	जीपीए (जयपुर मेट्रो)	तकनीकी कार्मिकों हेतु 350/– गैर तकनीकी कार्मिकों हेतु 250/–	200000	06.01.2021 से 05.01.2022 तक	जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा सा.बी.नि. कार्यालय में एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
11	जीपीए (होमगार्ड्स)	11.72 लाख रू. (नफरी आधारित)	150000	06.12.2020 से 05.12.2021 तक	गृहरक्षा विभाग द्वारा एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।

2. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना –

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 14 नवम्बर 1996 से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2002 में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित, गैर अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों तक विस्तृत किया गया। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	बीमा योजना	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पॉलिसी अवधि	विशेष विवरण
1	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना– (राजकीय विद्यालय)	1. कक्षा 1 से 8 हेतु सभी विद्यार्थी हेतु 5.21 करोड़ रू. 2. कक्षा 9 से 12 हेतु सभी विद्यार्थी हेतु 2.62 करोड़ रू.	100000 100000	15 अगस्त से 14 अगस्त	शिक्षा विभाग द्वारा अगस्त माह में एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।
2	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना– (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त)	1. कक्षा नर्सरी से 8 तक 25 रू प्रति विद्यार्थी 2. कक्षा 9 से 12तक 50रू प्रति विद्यार्थी 3. उच्च स्तर महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थान–100 रू प्रति विद्यार्थी	50000 100000 200000	राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से एक वर्ष हेतु	शिक्षण संस्थाओं (राज.विद्या. के अतिरिक्त) द्वारा विभाग में प्रीमियम जमा कराया जाता है।
3	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना (मदरसा बोर्ड)	10रू प्रति विद्यार्थी	100000	01.01.2021 से 31.12.2021	प्रीमियम राशि मदरसा बोर्ड द्वारा कुल छात्र संख्या के आधार पर एकमुश्त जमा कराया जाता है।

3. विविध बीमा पॉलिसी–

साधारण बीमा निधि द्वारा मेरिन एवं विविध बीमा (बर्गलरी, मनी, बैंकर्स इन्डेमिनिटी, मेडिक्लेम, फिडिलिटी, मशीनरी ब्रेक डाउन, वर्कमैन कम्पनसेशन) इत्यादि पॉलिसी भी जारी की जाती है। उक्त पॉलिसी के विरूद्ध इस विभाग में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु जोखिम वहन की जाती है।

जिला स्तर पर योजनाओं का विकेन्द्रीकरण –

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा का कार्य राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है। जीपीए राज्यकर्मी एवं पुलिसकर्मी बीमा योजनाओं के कार्य का माह अप्रेल, 2011 से तथा जीपीए विद्युतकर्मी योजना के कार्य का माह अक्टूबर, 2012 से विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है।

विभिन्न प्रमुख बीमा योजनाओं के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्नानुसार है –

(अ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (राज्यकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2018–19	35	250	285	244	41
2019–20	41	288	329	274	55
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	55	165	220	167	53

(ब) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पुलिसकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2018–19	11	59	70	53	17
2019–20	17	61	78	64	14
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	14	43	57	41	16

(स) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (विद्युतकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2018–19	8	69	77	65	12
2019–20	12	62	74	60	14
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	14	53	67	39	20

(द) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (अन्य बोर्ड/निगमकर्मी)

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2018–19	2	9	11	10	01
2019–20	01	09	10	10	00
2020–2021 (दिसम्बर 2020 तक)	00	12	12	09	03

(य) विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त दावे	योग	निस्तारित दावे	शेष
2018–19	25	501	526	499	27
2019–20	27	646	673	602	71
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	71	393	464	445	19

(र) अन्य विविध बीमा पॉलिसियां

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
2018–19	01	01	02	02	00
2019–20	00	03	03	03	00
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	00	05	05	02	03

4. ग्रुप मेडिक्लेम योजनाऐं

दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी व्यय/खर्चों का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा मेडिक्लेम

पॉलिसी/योजना के माध्यम से किया जाता है। योजना का प्रीमियम भी राज्य सरकार वहन करती है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2005–06 से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य कर्मियों के अतिरिक्त विभाग पाँचों विद्युत कम्पनियों एवं राज्य सरकार की समस्त स्वायत्तशाषी संस्थाओं/निकायों के दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को भी मेडिक्लेम पॉलिसी की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा मेडिक्लेम पॉलिसी के माध्यम से राज्य के 5.50 लाख कार्मिक एवं उनके आश्रित परिजनों सहित लगभग 27.5 लाख लोग मेडिक्लेम योजना के लाभार्थी हैं। विभाग द्वारा जारी की जा रही मेडिक्लेम बीमा योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, पॉलिसी अवधि एवं योजनाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	मेडिक्लेम पॉलिसी	वर्तमान प्रीमियम दर	बीमाधन (रूपये में)	पालिसी अवधि
1	राज मेडिक्लेम पॉलिसी (01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए)	1000 रू.	3 लाख	1 अप्रेल से 31 मार्च तक
2	पाँचों विद्युत कम्पनियों की मेडिक्लेम पॉलिसियां (01.01.2004 व उसके पश्चात् नियुक्त विद्युत कर्मियों के लिए)	1200 रू. + 30 रू. विविध व्यय	3 लाख	प्रीमियम प्राप्ति से 1 वर्ष तक
3	विभिन्न निगमों, बोर्डों एवं स्वायत्तशाषी संस्थानों हेतु जारी पॉलिसी	2500 रू. + 30 रू. विविध व्यय (प्रति 1 लाख के बीमाधन पर)	1 लाख से 3 लाख तक	प्रीमियम प्राप्ति से 1 वर्ष तक

योजना के प्रमुख बिन्दु –

- बीमित : कार्मिक स्वयं, पति/पत्नी आश्रित माता–पिता, 21 वर्ष तक आयु की 2 अविवाहित संतानों को पॉलिसी का लाभ, ईलाज खर्च का सी.जी.एच.एस. पेकेज दरों पर पुनर्भरण देय।
- 24 घण्टे भर्ती रहकर अस्पताल में ईलाज करवाना अनिवार्य।
- राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में आयुष (AYUSH) पद्वतियों से ईलाज की सुविधा।
- कोविड–19 का किसी भी चिकित्सालय में ईलाज की सुविधा।
- गंभीर बीमारियों (Critical Illness) में केश लेस की सुविधा । गंभीर बीमारियों की सूची : i. Coronary Artery Surgery ii. Cancer iii.Renal Failure i.e. failure of both the kidneys iv. Stroke v.Multiple Sclerosis vi.Meningitis vii.Major organ tansplants like Kidney, Lung, Pancreas or Bone Marrow Transplantation.

- 30 दिवस प्री–हॉस्पिटलाईजेशन एवं 45 दिवस पोस्ट हॉस्पिटलाईजेशन के ईलाज की सुविधा
- प्रथम दो जीवित संतानों के लिए एक वर्ष में रू. 50,000/– तक के मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) की सुविधा
- राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों एवं राज्य से बाहर के निजी/राजकीय अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज की सुविधा

मेडिक्लेम पॉलिसियों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की जांच एवं प्रोसेसिंग का कार्य आई.आर.डी.ए. से अनुज्ञा पत्र प्राप्त टीपीए द्वारा किया जाता है। मेडिक्लेम योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	पूर्व शेष	प्राप्त	योग	निस्तारित	बकाया शेष
2018–2019	3827	11745	15572	12743	2829
2019–2020	2829	17367	20196	17990	2206
2020–2021 (दिसम्बर 2020 तक)	2206	8158	10364	5429	4935

साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण

(महालेखाकार कार्यालय में बुक राशि के आधार पर)

बजट मद 8011–105–02–01 (रू. करोड़ों में)

वर्ष	प्राप्त कुल प्रीमियम	कुल भुगतान
2018–19	59.38	40.06
2019–20	93.81	58.78
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	97.50	40.18

बजट मद 8011–107–01 (रू. करोड़ों में)

वर्ष	कुल प्राप्तियां	कुल भुगतान
2018–19	14.96	6.31
2019–20	15.71	7.13
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	16.25	5.55

साधारण बीमा निधि की स्थापना वर्ष 1991 में 50,000/– रू. के फण्ड से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर (दिनांक 31.03.2020 को) यह फण्ड बढ़कर लगभग 710 करोड़ रू. हो गया है। उक्त राशि राज्य सरकार के पास जमा है जिस पर वर्तमान में निधि को 8.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा जनकल्याणकारी कार्यों में उपयोग में ली जा रही है। साधारण बीमा निधि की वर्ष 2016–17 तक की बैलेंसशीट की ऑडिट, सनद लेखाकार से कराई जाकर बैलेंसशीट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। वर्ष 2017–18 की बैलेंसशीट तैयार कराने का कार्य प्रगति पर है।

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1. राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 जयपुर, दिनांक 28.01.2004 एवं दिनांक 27.03.2004 के द्वारा नव–नियुक्त कर्मचारियों पर दिनांक 01.01.2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.08.2004 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्तशासी निकायों पर भी लागू की गयी है। योजना के संचालन हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

   दिनांक 07.09.2006 के परिपत्र द्वारा वित्त(नियम) विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रकार की संस्थाएं, जहां कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य प्रावधान एक्ट 1954 (Employees Provident Fund & Miscellaneous Provision Act 1954) लागू है, वहां नवीन पेंशन योजना लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अन्य राजकीय उपक्रमों , समितियों , आयोगों, विश्वविघालयों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। इन संगठनों में 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की गैर अंशदायी पेंशन योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा उपरोक्त संस्थाओं का नोडल अधिकारी निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग होगा।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना क्रमांक एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 जयपुर, दिनांक 02.08.2005 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू किये गये, जिसके तहत योजना में सम्मिलित अंशदाताओं के वेतन से उनके मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ता के 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती की जाती है तथा उतनी ही राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को राजकीय अंशदान 14 % दिया जा रहा है।

3. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(12)वित्त/राजस्व/04 पार्ट–।। दिनांक 27.12.2010 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में पीएफआरडीए आर्किटेक्चर को पूर्णरूप से (In-toto) अपनाया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के पेंशन फण्ड को जिस पद्धति से निवेश किया जा रहा हैं, उसी प्रकार राज्य के कर्मचारियों के फण्ड को निवेश किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं के खातों के रखरखाव के लिए केन्द्रीय अभिलेख अधिकरण (सीआरए) के रूप में नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) को स्वीकार किया गया। वर्तमान में राज्य में कुल 29399 डी.डी.ओ., 40 डी.टी.ओ. तथा 10 डी.टी.ए. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित कार्य को सम्पादित किया जा रहा है।

विभागीय मुख्य कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना निम्न प्रकार हैः–

A. सेन्ट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (NSDL) से प्राप्त सूचना के अनुसार एनपीएस राज्य कर्मचारियों के सक्रिय PRAN (Permanent Retirement Account Number) की सूचना।

एनपीएस प्रान	दिनांक 31.03.2018 तक	2018–19	2019–20	2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6
कुल प्रान	365577	67619	32274	35320	500790

B. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ट्रस्टी बैंक को अब तक स्थानान्तरित निजी एवं राजकीय अंशदान राशि :–

(राशि करोड़ों में)	दिनांक 31.03. 2018 तक	2018–19	2019–20	2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	कुल (2+3+4+5)	AUM
1	2	3	4	5	6	7
अंशदान की राशि	10290.05	4120.39	4375.56	3530.24	22316.24	31379.29

C. राज्य एनपीएस अंशदाताओं द्वारा एनएसडीएल पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की सूचनाः–

वर्ष	कुल प्राप्त	निस्तारण	कार्यवाही में
2018–19	970	970	0
2019–20	718	718	0
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	311	289	22

(उक्त लबिंत शिकायतों में 21 शिकायतें 30 दिवस की समयावधि के भीतर है)

D. सेन्ट्रल रिकॉर्डकीपिंग ऐजेंसी (NSDL) से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण दिनांक 31.12.2020 तक की सूचना निम्नानुसार है :–

उत्पन्न दावों के प्रकार	दिनांक 31.03.2020 तक	वित्तीय वर्ष 2020–21				
		01.04.2020 को शेष	01.04.2020 से 31.12.2020 तक प्राप्त	कुल प्रकरण (3+4)	निस्तारित 31.12.2020 तक	शेष (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
मृत्यु	1759	12	431	443	426	17
सेवानिवृति तिथि पूर्व सेवामुक्ति	131	0	12	12	12	0
सेवानिवृति	2361	68	348	416	328	88
योग	4251	80	791	871	766	105

E. सेन्ट्रल रिकॉर्डकीपिंग ऐजेंसी (NSDL) से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में स्वीकृत पेंशन प्रकरणों की दिनांक 31.12.2020 तक की सूचना निम्नानुसार हैः–

उत्पन्न पेंशन प्रकरणों की किस्म	दिनांक 31.03.2020 तक स्वीकृत	वित्तीय वर्ष 2020–21				
		01.04.2020 को प्रक्रियाधीन पेंशन प्रकरण	01.04.20 से 31.12.20 तक प्राप्त	कुल प्रकरण (3+4)	निस्तारित 31.12.2020 तक प्राप्त	शेष (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
मृत्यु	4	6	0	6	2	4
सेवानिवृति तिथि पूर्व सेवामुक्ति	56	16	3	19	5	14
सेवानिवृति	1189	202	267	469	267	202
योग	1249	224	270	494	274	220

6. राज्य सरकार द्वारा राज्य के एनपीएस अंशदाताओं के सेवा में रहते मृत्यु एवं शारीरिक अक्षमता होने पर सेवामुक्त कार्मिकों के मनोनित/कर्मचारियों को अतिरिक्त सहायता के रुप में अंतरिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है, इस क्रम में सम्बंधित कर्मचारियों की सम्पूर्ण कॉरपस राशि एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक से प्राप्त कर पेंशन विभाग

के बजट मद में स्थानांतरित कर अंतरिम पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। ऐसे प्रकरणों में दिनांक 31.12.2020 तक मुख्यालय द्वारा संभागीय कार्यालयों को 492 प्रकरणों में मृतक कार्मिकों की कॉरपस राशि, पेंशन विभाग में जमा कराने हेतु एकवारीय निकासी की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

7. नवाचार–ऑनलाईन प्रान जनरेशनः– राज्य में एनपीएस कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2020 से एनएसडीएल के ओपीजीएम (ऑनलाईन प्रान जनरेशन मॉडुयल) के तहत प्रान आवंटित कराये जा रहे हैं, जिसमें दिनांक 31.12.2020 तक 31425 PRAN (Permanent Retirement Account Number) ऑनलाईन आवंटित कराये जा चुके हैं।

8. स्वायत्तशासी संस्थाओं पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होने के सम्बन्ध में वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.13(1)/वित्त/नियम/2003 जयपुर, दिनांक 12.08.2004 के द्वारा राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों में 01.01.2004 के बाद नव–नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसके तहत 31.12.2020 तक राज्य में 01 डी.टी.ए., 74 राजकीय स्वायत्तशासी संस्थाऐं डी.टी.ओ. के रूप में तथा 482 डी.डी.ओ. पंजीकृत हो चुके हैं। स्वायत्तशासी संस्थाओं के स्तर से ही निजी एवं नियोक्ता अंशदान की राशि के अपलोड/ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक कुल राशि रूपये 616.46 करोड़ ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

6. सिस्टम

1. वैब–बेस्ड एप्लीकेशन

इस विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के लेखों एवं कार्य–प्रक्रियाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु एसआईपीएफ पोर्टल (कस्टमाईज्ड वैब–बेस्ड एप्लीकेशन) तैयार किया गया है। वर्तमान में पोर्टल का विकास, परिष्करण, नवीनीकरण, रख–रखाव तथा आईएफएमएस से इन्टीग्रेशन का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा किया जा रहा है।

2. ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन के लाभ

एसआईपीएफ ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया से राज्य के लगभग 7 लाख कर्मचारियों को निम्न मुख्य एवं प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहे हैं :–

1. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना के खाते दिनांक 01.04.2012 से ऑनलाईन किये जाकर पोर्टल पर खातों के अवलोकन की सुविधा राज्य कर्मचारियों को दी गई है।
2. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना के ऋण, आहरण एवं अन्तिम भुगतान के प्रार्थना पत्रों का ऑनलाईन सबमिशन एवं डिस्पोजल किया जा रहा है।
3. प्रावधायी निधि योजना एवं राज्य बीमा के भुगतान सीधे ही संबंधित राज्य कर्मचारियों/दावेदारों के बैंकखातों में ऑनलाईन जमा कराये जा रहे हैं।

3. ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन कार्य प्रगति

दिनांक 31.12.2020 तक पोर्टल के माध्यम से सम्पादित कार्य की विस्तृत प्रगति निम्नानुसार है :–

(1) एम्पलॉई डाटाबेस

राज्य कर्मचारियों के सेवा में प्रवेश करने पर संबंधित डीडीओ द्वारा राजकीय सेवा संबंधी विस्तृत विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट कराया जाता है, जिसके आधार पर एम्प्लॉई मास्टर डाटा तैयार किया जाकर 16 डिजिट की यूनिक एम्प्लॉई आईडी जारी की जा रही है।

(2) ऑनलाईन रिकार्ड़ कीपिंग

राज्य बीमा योजना

- राज्य बीमा योजना में बीमेदार की प्रथम कटौती से मार्च, 2014 तक जारी बीमानुबन्धों को एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है तथा दिनांक 01.04.2015 से बीमानुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) ऑनलाईन जारी किये जा रहे हैं, जिनके आधार पर पॉलिसी डिटेल के रूप में प्रथम कटौती से अब तक जारी बीमानुबंध (कॉन्ट्रेक्ट), प्रीमियम, बीमा धन, बोनस आदि को व्यू किये जाने की सुविधा बीमेदारों को पोर्टल पर प्रदान की गई है।
- **बीमा पॉलिसी/बीमानुबन्ध जारी करनाः–** दिनांक 01.04.2015 से उक्त कार्य एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 01.04.2015 की 17414, दिनांक 01.04.2016 की 43504, दिनांक 01.04.2017 की 40587, दिनांक 01.04.2018 की 42649, दिनांक 01.04.2019 की 14950 तथा दिनांक 01.04.2020 की 30534 बीमा पॉलिसियां ऑनलाईन जारी की जा चुकी हैं।
- अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2020 तक क्रेडिट एवं डेबिट पे–मैनेजर के माध्यम से पारित वेतन बिलों की बीमा कटौतियों का डाटा पे–मैनेजर से एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कराया गया है, जिसके आधार पर राज्य बीमा कटौतियों को लेजर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रावधायी निधि योजना

- प्रावधायी निधि योजना में अंशदाताओं की प्रथम कटौती से दिनांक 31.03.2012 तक की कटौतियों का रिकार्ड़ तैयार कर दिनांक 01.04.2012 के ऑपनिंग बैलेंस के रूप में एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया था, जिसे अब पुनः परिष्कृत/पूर्ण कराया जा रहा है तथा अप्रैल 2012 से पूर्व की कटौतियां भी ऑल्ड लेजर के रूप में अब पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं।
- अप्रैल 2012 से दिसम्बर, 2020 तक का डेबिट एवं क्रेडिट का डाटा पे–मैनेजर से इम्पोर्ट कर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया तथा ऑफलाईन जमा एवं माह सितम्बर 2016 तक केश चालानों के माध्यम से जमा शिड्यूल्स का डाटा विभागीय कर्मचारियों द्वारा फीड किया गया, जो संबंधित अंशदाताओं को जीपीएफ कटौतियों के लेजर के रूप में पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रावधायी निधि योजना के लेखों का दिनांक 01.04.2012 से ऑनलाईन संधारण किया जा रहा है। अब ऋण, आहरण एवं क्लेम भी शीघ्र ऑनलाईन निस्तारित करना प्रारम्भ किया जा रहा है।

नेशनल पेंशन सिस्टम

- योजना के अंशधारकों की कटौतियों को सीआरए एवं ट्रस्टी बैंक को एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन हस्तातंरण करवाये जाने की मॉडिलिटी विकसित कर ली गई है। अब एनपीएस अंशदाताओं के प्रान,एम्पलॉई आईडी तथा पे–मैनेजर एवं एसआईपीएफ पोर्टल के इन्टीग्रेशन के फलस्वरूप एसजीवी कोड, ऑफिस आईडी, एम्प्लॉई आईडी एवं पे–मैनेजर आईडी की मैचिंग की जा रही है। शीघ्र ही एनपीएस अंशधारकों को एनपीएस कटौतियों की एससीएफ भी एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से सीआरए को ऑनलाईन हस्तांतरित की जायेगी।

साधारण बीमा योजना

- व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के प्रपोजल फॉर्म एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन सबमिट कराये गये हैं।

(4) एसआईपीएफ एवं आईएफएमएस (पे–मैनेजर) पोर्टल का इन्टीग्रेशन

एसआईपीएफ पोर्टल का पे–मैनेजर एप्लीकेशन एवं ई–ग्रास एप्लीकेशन से इन्टीग्रेशन किया जाकर जीपीएफ में अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2020 तक का डाटा एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कर लिया गया है तथा केश चालानों के माध्यम से प्राप्त कटौतियों एवं ऑफलाईन पारित बिलों के शिड्यूल की पोस्टिंग विभागीय स्तर से की जा रही है।

एसआईपीएफ पोर्टल एवं ई–ग्रास पोर्टल के इंटीग्रेशन पश्चात नकद जमाकर्ता विभागों तथा कर्मचारियों द्वारा ई–चालान/शिडयूल्स एसआईपीएफ पोर्टल पर जनरेट कर कटौती राशियाँ जमा करायी जा रही हैं।

(5) ऑनलाईन एप्लीकेशन डिस्पोजल

- दिनांक 01.04.2015 से राज्य बीमा के परिपक्वता दावों तथा राज–मेडिक्लेम योजना के दावों एवं दिनांक 15.08.2016 से राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना के ऋण,

आहरण एवं अन्तिम भुगतान दावों का निस्तारण एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया में एप्लीकेशन सम्बन्धित कर्मचारी की लॉगिन आईडी से एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट कराई जाती है, जिसे सम्बन्धित डीडीओ द्वारा नियमानुसार परीक्षणोपरान्त विभाग को अग्रेषित करते हुए एप्लीकेशन की हार्डकॉपी एवं वांछनीय दस्तावेजों के साथ विभाग के संबंधित जिला कार्यालयों को प्रेषित की जाती है। विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन प्रार्थना पत्रों को प्रक्रियानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए भुगतान आदेश जारी किये जाते हैं।

- **बीमा ऋण तथा बीमा परिपक्वता, मृत्यु, अध्यर्पण दावों का निस्तारण** उक्त कार्य के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2016 से दिनांक 31.12.2020 तक बीमा ऋण के 101423, बीमा अध्यर्पण के 4896, मृत्यु के 10277 तथा बीमा परिपक्वता के 85540 दावों का ऑनलाईन निस्तारण किया गया।

- **जीपीएफ ऋण, आहरण एवं क्लेम** उक्त कार्य के अन्तर्गत दिनांक 15.08.2016 से दिनांक 31.12.2020 तक जीपीएफ मृत्यु के 9304, जीपीएफ क्लेम के 97001, स्थाई आहरण के 141572 तथा अस्थाई आहरण के 56803 दावों का निस्तारण किया गया है।

- **राज–मेडिक्लेम** दिनांक 01.04.2015 से राज्य कर्मचारियों के मेडिक्लेम दावों का निस्तारण एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन निस्तारण किया जा रहा है। दिनांक 15.08.2016 से मेडिक्लेम दावों का निस्तारण विभागीय जिला कार्यालय स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया है।

- **मोबाईल मैसेज** एसआईपीएफ पोर्टल पर सम्पादित कतिपय कार्यों यथा एप्लीकेशन सबमिशन, फॉरवर्डिंग/अप्रूवल, बीमा परिपक्वता दावा आमंत्रित करने आदि की जानकारी राज्य कर्मचारियों को दिये जाने बाबत एमएसडीजी के माध्यम से मोबाईल मैसेज भिजवाये जा रहे हैं।

(6) एसआईपीएफ भुगतानों की नवीन प्रकिया (Payment Order System)

- वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.12.2017 एवं दिनांक 21.12.2017 के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों को बीमा

निधि एवं सामान्य प्रावधायी निधि से राशि आहरित करने हेतु अधिकार–पत्र या चैक जारी करने की प्रक्रिया के स्थान पर विभाग के जिलाधिकारी के नाम भुगतान आदेश (फ्लोट) जारी कर, पे–मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट करते हुए संबंधित कर्मचारी/दावेदारों के बैंक खातों में राशि भुगतान की कार्यवाही सम्पादित किये जाने की नवीन प्रक्रिया दिनांक 01.01.2018 से शुरू की गई है।

- उक्त नवीन व्यवस्था राज्य कर्मचारियों, आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा इस विभाग की कार्य प्रक्रियाओं के पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी, लाभदायक, सुविधाजनक एवं मितव्ययी सिद्ध हो रही हैं।

- विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2020 तक उक्त नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत 352885 कर्मचारियों हेतु उनके सभी प्रकार के ऋण, आहरण एवम् दावा प्रकरणों में 70226 भुगतान आदेश जारी किये गये, जिनके विरूद्व दिनांक 31.12.2020 तक 69371 भुगतान आदेशों के द्वारा 348993 कर्मचारियों/लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जमा करायी जा चुकी है। शेष रहे 3892 कर्मचारियों हेतु 855 भुगतान आदेश पारण की प्रक्रिया में है।

(7) पेपरलेस एप्लीकेशन डिस्पोजल

- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(19) वित्त/राजस्व/2018 जयपुर, दिनांक 19.10.2020 के द्वारा राज्य बीमा ऋण , जीपीएफ स्थाई/अस्थाई आहरण तथा सेवानिवृति पश्चात खोले जाने वाले खातों के आहरण (Rtd. Withdrawal) के आवेदनों का पेपरलेस निस्तारण जिला कार्यालय सचिवालय में पायलट बेसिस पर प्रारम्भ किया गया था।

- उक्त व्यवस्था के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(2) वित्त/राजस्व/98 पार्ट –। जयपुर, दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से पेपरलेस एप्लीकेशन व्यवस्था दिनांक 15.12.2020 से विभाग के समस्त जिला कार्यालयों में प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

- <u>विभागीय वैब–साईट</u> **www.sipf.rajasthan.gov.in** पर राज्य कर्मचारियों के लिये निम्न सूचनाएं प्रदर्शित/उपलब्ध करायी जा रही हैं :–

- **विभागीय योजनायें** यथा राज्य बीमा, साप्रानि, एनपीएस, साधारण बीमा एवं मेडिक्लेम आदि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध हैं।

- **विभागीय योजनाओं की नियमावली** राज्य बीमा, साप्रानि, एनपीएस, जीआईएस एवं मेडिक्लेम आदि से संबंधित नियम/उपनियम/अध्यादेश/संशोधन उपलब्ध हैं।

- **विभागीय योजनाओं से संबंधित प्रपत्र** राज्य बीमा, साप्रानि, एनपीएस, जीआईएस एवं मेडिक्लेम आदि योजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रपत्र राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं।

- **डीडीओ एवं एम्प्लॉई कॉर्नर** डीडीओ एवं राज्य कर्मचारियों के लिये सामान्य जानकारियाँ उपलब्ध करवायी गयी हैं।

- **एसआईपीएफ पोर्टल एवं अन्य लिंकः–** राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये पोर्टल एवं अन्य महत्वपूर्ण वेबसाईट्स के लिंक उपलब्ध करवाये गये हैं।

(8) हेल्प डेस्क एवं टोल–फ्री हेल्प लाईन

राज्य के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभागीय यूजर्स द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर किये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान/मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय पर टोल–फ्री हेल्प लाईन एवं हेल्प डेस्क सेवा प्रारम्भ की गई है। कार्यालय समय में टोल–फ्री नम्बर 1800–180–6268 पर सम्पर्क किया जा सकता है और किसी भी समय helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in पर ई–मेल किया जा सकता है।

7. डिजिटाईजेशन

राज्य सरकार द्वारा पेपरलेस कार्य को प्राथमिकता देते हुए स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन प्राजेक्ट के द्वारा बीमा एवं जीपीएफ के रिकोर्ड़स को स्कैन करते हुए एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ई–बैग में अपलोड कराये जाने का निर्णय लिया गया।

सर्वप्रथम पायलेट बेसिस पर 03 बीमा कार्यालय झुंझुंनू, झालावाड़ एवं उसके पश्चात् नई दिल्ली के बीमा एवं जीपीएफ रिकार्ड्स (बैग्स, लेजर्स इत्यादि) की स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन का कार्य करवाया गया। पायलेट बेसिस पर करवाये गये कार्य अनुभव एवं उसकी उपयोगिता को देखते हुए शेष 36 जिला कार्यालयों के बीमा एवं जीपीएफ रिकार्ड़ की स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन का कार्य 03 चरणों में करवाया गया है।

प्रथम चरण में 11, द्वितीय चरण में 11 एवं तृतीय चरण में 14 जिला कार्यालयों में स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन का कार्य किया गया है। स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन प्रोजेक्ट में बीमा एवं जीपीएफ की लगभग 10.05 लाख पत्रावलियों के लगभग 1.57 करोड़ दस्तावेजों को स्कैन किया जा चुका है। इनमे से बीमा एवं जीपीएफ के लगभग 8.27 लाख पत्रावलियों के लगभग 1.22 करोड़ दस्तावेजों को संबंधित राज्य कर्मचारियों के ई–बैग में अपलोड किया जा चुका है।

स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विभागीय रिकार्ड्स (बैग्स एवं लेजर्स) रियल टाइम बेसिस पर विभागीय अधिकारीगण एवं राज्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए उपलब्ध होगा। इसके फलस्वरूप विभागीय कार्यकलापों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा राज्य कर्मचारियों के बीमा एवं जीपीएफ के ऋण, आहरण तथा क्लेम का ऑनलाइन त्वरित निस्तारण संभव हो सकेगा।

8. लेखा (बजट)

विभाग के मुख्य शीर्ष 2235–4235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (राज्य निधि) के निम्नांकित लघु शीर्षो के वर्ष 2020–21 के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

क0 सं0	लघु शीर्ष	बजट प्रावधान 2018–19	वास्तविक व्यय 2018–19	आय–व्ययक अनु0 2019–20	वास्तविक व्यय 2019–20	आय–व्ययक अनु0 2020–21	वास्तविक व्यय 12/2020
1	104–निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना–सरकारी भविष्य निधि (01)–जमा से प्रतिबद्ध बीमा राज प्रावधायी निधि	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2	104–निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना–सरकारी भविष्य निधि (02)–प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण दत्तमत प्रभृत	4206.52 0.01	3846.87 2.10	3992.42 0.01	3532.66 0.00	3910.32 4.57	2989.29 4.56
3	105–सरकारी कर्मचारी बीमा योजना (01)–राज्य बीमा विभाग दत्तमत प्रभृत	6058.49 0.01	6248.17 2.10	6252.27 0.62	5652.60 0.61	6500.55 0.01	4691.46 0.00
4	110–अन्य बीमा योजनायें (01)–साधारण बीमा योजना	433.47	416.34	491.12	369.30	454.02	308.32
5	800–अन्य व्यय (02)–निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 के माध्यम से (मेडिक्लेम) (01)–01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम	2150.53	2053.56	4324.52	4304.55	4625.42	4508.53
6	2235–800–अन्य व्यय (02)–निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 के माध्यम से (02)–नवीन अंशदायी पेंशन योजना	1562.83	1556.06	1637.03	1694.61	2007.03	1088.31
7	4235–800–अन्य व्यय (04)– राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 विभाग के लिये भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण (90)– निर्माण कार्य	229.41	33.87	244.79	15.77	162.01	34.66
8	4235–60–800–(06) राज्य बीमा एवं प्रा0 नि0 का कम्प्यूटराईजेशन	248.35	187.16	39.62	38.41	132.41	0.00
	दत्तमत प्रभृत	14889.61 0.02	14342.03 4.20	16982.78 0.63	15607.90 0.61	17791.77 4.58	13620.57 4.56

9. उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों के संबंध में सीधे उपभोक्ताओं, विभिन्न कार्यालयों व अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के संतोषजनक निराकरण हेतु उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता अनुभाग की स्थापना की गयी है। अनुभाग के महत्व को ध्यान में रखते हुये, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) एवं अतिरिक्त निदेशक (सीआरएस) का पदस्थापन किया गया है।

अनुभाग में वर्तमान में निम्न गतिविधियां संचालित हैः–

1. **लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग**
2. **क्लीयरिंग हाउस**
3. **राजस्थान सम्पर्क**
4. **लोक सेवा गारंटी अधिनियम**
5. **मासिक बैठक आयोजन**
6. **मासिक कार्य प्रगति विवरण**
7. **अन्य**

1. लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग/सामान्य शिकायत

उपभोक्ता संबंध अनुभाग (सीआरएस) में वर्ष 2018–19 से 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग/सामान्य शिकायत से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निस्तारित शिकायतें
2018–19	1110	1110
2019–20	1757	1594
2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	580	341

लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. क्लीयरिंग हाऊस

विभाग ने **वर्ष 1995–96** में क्लीयरिंग हाउस की शुरूआत की, जिससे राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की मूल पत्रावलियां एवं लेजर्स एक जिले से दूसरे जिले में उनकी मांग के अनुसार गहन मोनिटरिंग कर भिजवाये जा सके। उल्लेखनीय है कि डाक द्वारा रिकार्ड़ भिजवाये जाने पर रिकार्ड़ को अपने गन्तव्य जिले में पहुंचने में जहां काफी समय व खर्च आता था, वहीं रिकार्ड़ के गुम हो जाने की संभावना भी बनी रहती थी।

उक्त व्यवस्था के तहत मुख्यालय, जयपुर में **प्रतिमाह 15 तारीख को तथा प्रत्येक संभाग स्तर पर प्रति माह 5 से 10 तारीख के बीच क्लीयरिंग हाऊस की बैठकों का आयोजन कर** सभी जिला कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा नियत तिथि को उपस्थित होकर मांग के अनुसार रेकार्ड़ को संबंधित जिला कार्यालय के कार्मिक को व्यक्तिशः उपलब्ध करा दिया जाता है। विभाग की आवश्यकतानुसार मुख्यालय में एक माह में दो बार भी क्लीयरिंग हाउस की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवम् वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर–20 तक) में प्रावधायी निधि योजना तथा राज्य बीमा के निम्नानुसार खाते स्थानान्तरित किये गये हैंः–

वित्तीय वर्ष	प्रावधायी निधि योजना	राज्य बीमा योजना
2018–19	8255	9605
2019–20	10086	10963
2020–21 (माह दिसम्बर–20 तक)	4165	4568

3. राजस्थान सम्पर्क

अनुभाग में वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक) राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पन्न मामले	निस्तारित मामले	निस्तारण का प्रतिशत
वर्ष 2018–19	7090	7090	**100.00**
वर्ष 2019–20	7427	7426	**99.98**
वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर 2020 तक)	4632	4263	**92.03**

4. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की अधिसूचना दिनांक 10.10.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित 13 विभागीय सेवाओं को निर्धारित अवधि में राज्य कर्मचारियों को प्रदान करने बाबत प्रावधान किया गया है:–

क्र. स.	सेवा का नाम	निर्धारित अवधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1	बीमा ऋण	10 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
2	बीमा स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
3	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के दो माह	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
4	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रिकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
5	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
6	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
7	बीमा/जीपीएफ खाता स्थानान्तरण	30 दिवस (मुख्यालय एवं संभागीय स्तर पर प्रति माह क्लीयरिंग हाउस का आयोजन किया जाता है।)	सहायक/उप/संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा/जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

8	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
9	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
10	विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
11	समूह दुर्घटना बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
12	मेडिक्लेम	30 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक
13	प्रान जारी करना	20 दिवस	सहायक/उप /संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक एनपीएस	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक

इस हेतु कार्यालयों में पदस्थापित कार्यालयाध्यक्ष पदाभिहित अधिकारी है एवं उनकी सहायता के लिये संबंधित योजना के पर्यवेक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी है। प्रथम अपील अधिकारी संबंधित संभाग के वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक है। पदाभिहित अधिकारी कार्यालय के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत करता है। प्राप्त आवेदनों को अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के आगे दी हुई समय सीमा में निस्तारित किया जाता है। नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाश दिनों की गणना नहीं की जाती है।

अधिसूचना की धारा – 7 (1)(क) के तहत यदि पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो एक मुश्त राशि की शास्ति, जो पांच सौ रूपये से कम और पांच हजार रूपये से अधिक नहीं होगी तथा अधिसूचना की धारा –7 (1)(ख) के तहत पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवायें प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण

के बिना विलम्ब किया है तो ऐसे विलम्ब के लिये पदाभिहित अधिकारी पर अतिरिक्त प्रतिदिन 250/– रूपये की दर से अधिकतम 5,000/– रूपये तक अधिरोपित करने हेतु द्वितीय अपील प्राधिकारी (निदेशक) को अधिकृत किया गया है। दिसम्बर 2020 तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभाग में एक मात्र प्रकरण प्रथम अपील का प्राप्त हुआ है, जिसका निस्तारण किया जा चुका है।

5. मासिक बैठक आयोजन

अनुभाग द्वारा **प्रतिमाह समीक्षा बैठक का आयोजन कर** सभी संभाग/जिला कार्यालयों एवम् मुख्यालय के समस्त अधिकारियों के साथ विभाग की समस्त योजनाओं की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा की जाती है। उक्त बैठकों का कार्यवाही विवरण तैयार कर समस्त जिला/संभाग कार्यालयों को भिजवाया जाता है तथा दिये गये निर्देशों की अनुपालना हेतु निर्देशित किया जाता है।

6. मासिक कार्य प्रगति विवरण

सभी योजना प्रभारियों से मासिक कार्य प्रगति विवरण संकलित कर राज्य सरकार को भिजवाया जाता है।

7. अन्य

- **काउण्टर सिस्टम**

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, परिवेदनाओं को दर्ज कर इनके **समयबद्व निस्तारण के उदेश्य से दिनांक 01.04.2000 से सभी जिला कार्यालयों द्वारा काउण्टर व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है**।

काउन्टर प्रणाली में प्राप्त पूर्ण प्रकरणों का निस्तारण विभाग के लोक सेवा गारंटी अधिनियिम में उल्लेखित कार्य दिवसों में किया जाता है।

आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज कर उन्हें एक **टोकन** द्वारा प्रकरण निस्तारण तिथि अवगत कराकर **लोक सेवा गारंटी अधिनियम** की पालना सुनिश्चित किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं।

- **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग में वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्राप्त मामले	निस्तारित मामले	प्रकरण (कार्यवाही में)
2018–19	5893	5893	शून्य
2019–20	5262	5262	शून्य
2020–21 (12/2020) तक	2807	2606	**201**

प्रथम अपीलः–

वर्ष	प्राप्त	निस्तारित	बकाया
1–4–2018 से 31–03–2019	365	365	शून्य
1–4–2019 से 31–03–2020	857	857	शून्य
1–4–2020 से 31–03–2021 (12/2020) तक	513	438	**75** (कार्यवाही में)

- **विधानसभा से सम्बन्धित कार्य**

सभी योजना प्रभारियों,अनुभागों,संभाग एवम् जिलाधिकारियों से विवरण संकलित कर प्रशासनिक प्रतिवेदन,तारांकित/अतारांकित प्रश्न के उत्तर, ध्यानाकर्षण/स्थगन प्रस्ताव आदि हेतु तथ्यात्मक विवरण के प्रारुप तैयार कर राज्य सरकार को भिजवाये जाते हैं।

10. कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	(अ) राजपत्रित पद			
1.	निदेशक	1	1	0
2.	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक	4	4	0
3.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)	1	1	0
4.	अतिरिक्त निदेशक	23	23	0
5.	संयुक्त निदेशक	25	14	11
6.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	0
7.	सिस्टम एनालिस्ट	1	1	0
8.	उपनिदेशक	30	14	16
9.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
10.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1
11.	सहायक विधि परामर्शी	1	1	0
12.	निजी सचिव	4	4	0
13.	सहायक निदेशक	60	15	45
14.	लेखाधिकारी	2	2	0
15.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम	15	13	2
16.	संस्थापन अधिकारी	5	0	5
17.	प्रशासनिक अधिकारी	10	5	5
18.	प्रोग्रामर	10	10	0
19.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	3	0	3
20.	अतिरिक्त निजी सचिव	6	0	6
21.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	18	16	2

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
	(ब) अराजपत्रित पद			
22.	पर्यवेक्षक	131	115	16
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	47	29	18
24.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	259	235	24
25.	कनिष्ठ लेखाकार	18	14	4
26.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	4	0	4
27.	सहायक प्रोग्रामर	38	21	17
28.	निजी सहायक	8	6	2
29.	आशुलिपिक	10	4	6
30.	वरिष्ठ सहायक	515	301	214
31.	सूचना सहायक	156	120	36
32.	कनिष्ठ सहायक	601	587	14
33.	वाहनचालक	2	0	2
34.	बाइण्डर	3	3	0
35.	मशीनमैन	1	1	0
36.	रेकार्ड लिफ्ट्र	9	8	1
37.	जमादार	10	10	0
38.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	213	122	91
	योग	**2247**	**1702**	**545**

11. संगठनात्मक ढाचा

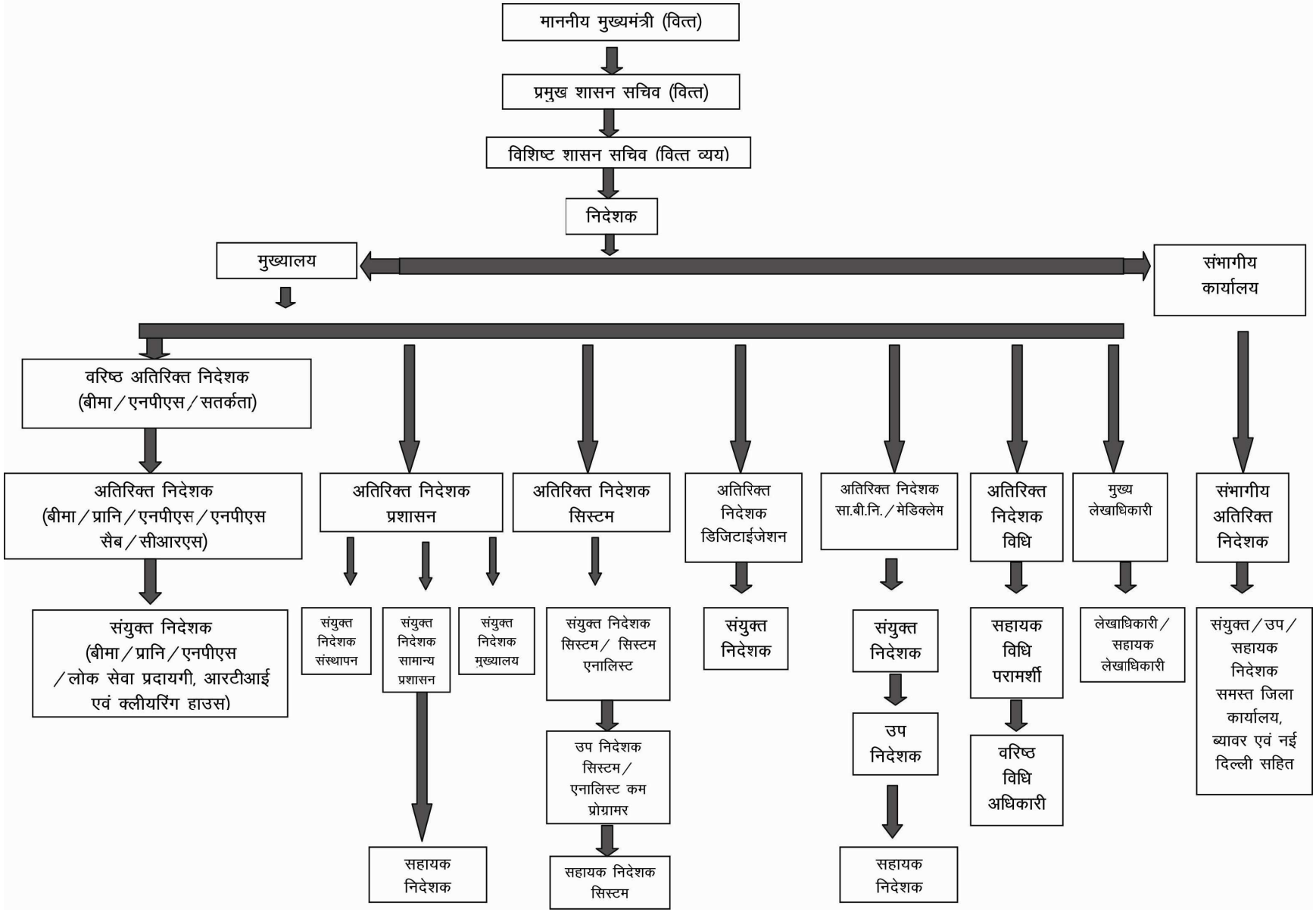

12. विशेष उपलब्धियां

- नवीनतम तकनीक के युग में ऑनलाईन सिस्टम को बढ़ावा देने और पारदर्शिता की दृष्टि से भी हार्ड कॉपी की अनिवार्यता समाप्त कर समस्त प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाना आवश्यक हैं। उक्त परिप्रेक्षय में प्रथम चरण में राज्य बीमा योजना में ऋण एवम सामान्य प्रावधायी निधि योजना में अस्थायी आहरण एवम स्थायी आहरण हेतु आवेदन पत्र एवम वांछित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
- इस प्रकार बीमा ऋण एवं सामान्य प्रावधायी निधि आहरण के प्रकरणों के निस्तारण की पेपरलेस व्यवस्था विभाग में दिनांक 15.12.2020 से लागू की गई है।
- जिला कार्यालयों पर स्थित जिला कोषागारों के अतिरिक्त राजस्थान के सभी 251 उपकोषागारों में वेतन एवं जीपीएफ/बीमा एवं एनपीएस कटौती सम्बन्धी बिलों की चैकिंग के लिए प्रतिमाह भेजे जाने वाले बीमा सहायकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उपकोषागारों में प्राप्त सभी वेतन बिलों में बीमा एवं जीपीएफ की बिलों की चैकिंग का कार्य ऑनलाइन संपादित किया जा रहा है।
- दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए राज मेडिक्लेम पॉलिसी हेतु मेडिक्लेम दावों की भुगतान की प्रक्रिया का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया गया।
- आयुष चिकित्सा पद्धति को भी मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत सम्मलित किया गया।
- प्रतिवर्ष रूपये राशि 20000 की सीमा तक राज्यकर्मियों के बांझपन के ईलाज को मेडिक्लेम पॉलिसी के दायरे में लाया गया।
- दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्यकर्मियों की मेडिक्लेम पॉलिसियों में संशोधन करते हुये डे–केयर बीमारियों एवं आपातकालीन बीमारियों का दायरा बढाया गया। पूर्व में डे–केयर पैकेज में 8 बीमारियाँ थी जिसमें 17 नयी बीमारियों को सम्मिलित करते हुए डे–केयर पैकेज में बीमारियों की संख्या 25 कर दी गई है ।
- आपातकालीन बीमारियों में पूर्व में 14 बीमारियों को सम्मिलित किया हुआ था जिसमें 6 और बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कुल बीमारियों की संख्या 20 हो गई है ।

13. सार संक्षेप

समस्त राज्य कर्मचारियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मेडिक्लेम योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आदि का संचालन विभाग के द्वारा समयबद्धता एवम् पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखते हुये न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर किया जा रहा है। राज्य बीमा योजना एवं साधारण बीमा योजना का प्रशासनिक व्यय चार्ज्ड व्यय की श्रेणी में आता है। विभाग द्वारा नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुये दिनांक 15.08.2016 से राज्यकर्मियों को ऑन–लाईन सेवाऐं उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के ऋण/स्वत्व ऑनलाईन ही प्राप्त/निस्तारित किये जा रहे हैं। संबंधित कर्मचारी/ दावेदारों के बैंक खातों में राशि का शीघ्र भुगतान करने के प्रयोजन से आहरण वितरण अधिकारी के स्थान पर जिलाकार्यालय के द्वारा पे–मैनेजर पोर्टल पर ऑनलाईन बिल सबमिट किये जाने की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु दिनांक 01.01.2018 से भुगतान आदेश (फ्लोट) जारी करने की नवीन प्रक्रिया शुरू की गई है। दिनांक 15.12.2020 से प्रावधायी निधि से आहरण एवं बीमा निधि से ऋण के प्रकरणों की पेपरलेस व्यवस्था लागू की गई है।

इस प्रकार सेवारत कार्मिकों के साथ–साथ मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने एवम् सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह विभाग सदैव तत्पर, जागरूक एवम् कृतसंकल्प है।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ

स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141–2751417